<u>प्रकाशन हेतु अनुमोदित</u>

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सिविल) क्र. 3973/2009

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत)

याचिकाकर्ता विप्र आर्ट्स, कॉमर्स एवं फिज़िकल एजुकेशन कॉलेज, रायपुर (छ.ग)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य

दिनांक 23/11/2009 को आदेश हेतु सूचीबद्ध करे

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

धीरेन्द्र मिश्रा

न्यायधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सिविल) क्र. 3973/2009

याचिकाकर्ता विप्र आर्ट्स, कॉमर्स एवं फिज़िकल एजुकेशन कॉलेज, द्वारा- प्राचार्य, पं. आर. एस. विश्वविद्यालय के पास, डोमर तालाब, रायपुर (छ.ग)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

1. छत्तीसगढ़ शासन, द्वारा सचिव, स्कूल शिक्षा, डी.के.एस. भवन, रायपुर (छ.ग)
2. रजिस्ट्रार, पं रवि शंकर विश्वविद्यालय, रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग) (संबद्ध विश्वविद्यालय)
3. निदेशक, पश्चिमी क्षेत्रीय समिति, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई), मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल (म.प्र)
4. सदस्य सचिव सह अपील प्राधिकरण, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई), हंस भवन, तिलक ब्रिज के पास, बहादुर शाह जाफ़र मार्ग, नई दिल्ली
5. निर्देशक, राज्य परिषद शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण, (एस.सी.ई.आर.टी), शंकर नगर, रायपुर (छ.ग)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश

(दिनांक 23/11/2009 को पारित)

धीरेन्द्र मिश्रा, न्यायधीश

1. याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत यह याचिका प्रस्तुत किया है और 19/22 जुलाई, 2009 (अनुलग्नक पी-1) के आदेश को अभिवनयित करने की प्रार्थना की है, जिसके तहत उत्तरवादी क्र. 3 द्वारा बी.एड. पाठ्यक्रम के संचालन के लिए मान्यता देने से इनकार करने वाले आदेश दिनांक 9/10 जून, 2009 अनुलग्नक पी-2 के विरुद्ध याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील को निरस्त कर दिया गया है।

2. याचिकाकर्ता का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि याचिकाकर्ता एक पंजीकृत संस्था द्वारा संचालित एक शैक्षणिक संस्थान है। याचिकाकर्ता संस्था पिछले दो वर्षों से बी.एड. पाठ्यक्रम सहित विभिन्न पाठ्यक्रम चला रही है। याचिकाकर्ता संस्था ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (संक्षेप में 'एनसीटीई') की क्षेत्रीय समिति को मान्यता प्रदान करने के लिए आवेदन किया। राज्य शैक्षिक एवं अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद (संक्षेप में 'एससीईआरटी') ने अपने ज्ञापन दिनांक 28.12.2005 (अनुलग्नक पी-5) के माध्यम से याचिकाकर्ता को बी.एड. पाठ्यक्रम खोलने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया। एनसीटीई ने अपने आदेश दिनांक 9-12 जून 2007 (अनुलग्नक पी-6) के माध्यम से राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता मानदंड और प्रक्रिया) विनियम, 2005 (संक्षेप में 'विनियम, 2005) के विनियम 7 (11) के अनुसार 100 छात्रों की एक इकाई के लिए मान्यता/अनुमति प्रदान की। निरीक्षण दल द्वारा जांच और निरीक्षण के बाद मान्यता प्रदान की गई क्योंकि याचिकाकर्ता संस्था ने मान्यता के लिए मानदंडों को पूरा किया। उत्तरवादी क्र. 2 ने ज्ञापन दिनांक 21.7.2007 (अनुलग्नक पी-7) के माध्यम से 100 छात्रों के प्रवेश के साथ बी.एड. पाठ्यक्रम के संबंध में संबद्धता प्रदान की। उत्तरवादी क्र. 2 द्वारा दी गई संबद्धता और उत्तरवादी क्र. 3 द्वारा दी गई मान्यता के आधार पर छात्रों को बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अनुलग्नक पी-6 की आवश्यकताओं के अनुसार, याचिकाकर्ता ने आवश्यक कदम उठाए और उत्तरवादी क्र 3 और 4 को प्रधानाचार्य और शैक्षणिक एवं गैर- शैक्षणिक कर्मचारियों आदि की नियुक्ति के संबंध में उठाए गए कदमों के बारे में सूचित किया। दिनांक 5.7.2007 को 30 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर पहली सूचना प्रदान की गई और उत्तरवादिगण को अनुलग्नक पी-6 के अनुसार शर्तों की पूर्ति के बारे में भी अवगत कराया गया। याचिकाकर्ता को उत्तरवादी विश्वविद्यालय और एससीईआरटी द्वारा शैक्षणिक सत्र 2007-08 और 2008-09 के लिए बी.एड. पाठ्यक्रम आरंभ करने की भी अनुमति दी गई थी। यद्यपि, शैक्षणिक सत्र 2009-10 के लिए उत्तरवादी क्र 3 और 4 ने अनुलग्नक पी-2 के तहत आदेश जारी किया जिसमें याचिकाकर्ता संस्थान को मान्यता देने से इनकार कर दिया गया। याचिकाकर्ता की रिट याचिका, सिविल क्र. 2550/09 का निराकरण दिनांक 15.5.2009 को किया गया और उसके बाद उत्तरवादी क्र. 3 ने अनुलग्नक पी-2 दिनांक 9/10 जून 2009 का संशोधित आदेश पारित किया जिसमें स्पष्ट कहा गया कि चूँकि निर्धारित समय के भीतर उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया, पश्चिमी क्षेत्रीय समिति ने याचिकाकर्ता संस्था को मान्यता देने से इनकार किया था। याचिकाकर्ता की अपील को अपीलीय प्राधिकारी ने अनुलग्नक पी-1 के आदेश द्वारा पुनः खारिज कर दिया।

3. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री पी.एस. कोशी और श्री अमियकांत तिवारी ने तर्क प्रस्तुत किया है कि अनुलग्नक पी-2 का आदेश याचिकाकर्ता को सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना पारित किया गया है। याचिकाकर्ता संस्थान पिछले दो वर्षों से कार्यरत था। याचिकाकर्ता ने अनुलग्नक पी-6 के तहत निर्धारित प्रायोजित आवश्यकताओं/शर्तों का ईमानदारी से पालन किया था। उत्तरवादीगण ने याचिकाकर्ता को एम.एड. की डिग्री के लिए मान्यता प्रदान की थी। पाठ्यक्रम (अनुलग्नक पी-16)। उत्तरवादीगण ने याचिकाकर्ता को संस्थान की कमियों और दोषों को दूर करने का कोई अवसर नहीं दिया। उत्तरवादी क्र. 2 - विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति और चयन में काफी समय लिया, जिसके कारण शैक्षणिक कर्मचारियों और प्राचार्य की नियुक्ति और चयन निर्धारित समय के भीतर पूरा नहीं हो सका। जब तक अक्षेपित आदेश पारित किया गया, तब तक याचिकाकर्ता ने आवश्यक शर्तें पूरी कर ली थीं और उसके पास पर्याप्त संख्या में शिक्षक थे। उत्तरवादीगण को याचिकाकर्ता को कमियों को दूर करने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए था, यदि कोई हो, जैसा कि भिलाई महिला महाविद्यालय, भिलाई के प्रकरण में किया गया था, जिसे मान्यता बहाल करने के बाद अपीलीय प्राधिकारी द्वारा कमियों को दूर करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया था।

4. इसके विपरीत, उत्तरवादी क्र. 3 और 4 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री प्यासी ने तर्क प्रस्तुत किया है कि 9-10 जून 2007 (अनुलग्नक पी-6) का सशर्त मान्यता आदेश विनियम, 2005 के विनियम 7 (11) के अंतर्गत जारी किया गया था। आदेश में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि पश्चिमी क्षेत्रीय समिति ने अपनी 98वीं बैठक में याचिकाकर्ता संस्थान को विनियम, 2005 के विनियम 7 (11) के अनुसार 100 छात्रों की एक इकाई के लिए सशर्त मान्यता/अनुमति प्रदान करने का निर्देश दिया है, बशर्ते कि अनुलग्नक पी-6 के आदेश में उल्लिखित शर्तों को पूरा किया जाए। आदेश में विशेष रूप से स्पष्ट किया गया है कि अनुपालन आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर किया जाना है और यह भी स्पष्ट किया गया है कि संस्थान पश्चिमी क्षेत्रीय समिति, भोपाल से बिना शर्त मान्यता पत्र और परीक्षा निकाय से संबद्धता प्राप्त करने के बाद ही प्रवेश देगा, जो विनियम, 2005 के विनियम 8 (10) के अनुसार पूर्व शर्तें हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता को सशर्त मान्यता आदेश के बारे में पता था और यह कि शर्तों को अनुलग्नक पी-6 के आदेश जारी होने के 30 दिनों के भीतर पूरा किया जाना था। याचिकाकर्ता निर्धारित अवधि के भीतर शर्तों को पूरा नहीं कर सका, जो दिनांक 27.3.2008 को जारी अनुलग्नक पी-8 के विज्ञापन से स्पष्ट है, जिसमें प्राचार्य के पद

सहित विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे और दिनांक 23.12.2008 का अनुलग्नक पी-11 का दस्तावेज उत्तरवादी विश्वविद्यालय द्वारा प्राचार्य की नियुक्ति के लिए अनुमोदन था। दिनांक 5.7.2007 का अनुलग्नक पी-18 का दस्तावेज बाद में तैयार किया गया है। याचिकाकर्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि अनुलग्नक पी-6 का आदेश एक मान्यता आदेश है, उनके स्वयं के ज्ञापन दिनांक 26.12.2008 (अनुलग्नक पी-19) द्वारा झुठलाया गया है, जिसके द्वारा शर्तों की पूर्ति को स्वीकार करने के बाद बिना शर्त मान्यता पत्र जारी करने का अनुरोध किया गया है। याचिकाकर्ता शैक्षणिक सत्र 2007-08 के लिए बी.एड. पाठ्यक्रम शुरू नहीं कर सका और न ही छात्रों को प्रवेश दे सका क्योंकि उस समय तक प्राचार्य और शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई थी। याचिकाकर्ता ने अपने द्वारा नियुक्त प्रत्येक संकाय सदस्य/कर्मचारी का शपथ पत्र और संकाय सदस्य/कर्मचारी का व्यक्तिगत प्रोफ़ाइल भी प्रस्तुत नहीं किया है और इन परिस्थितियों में मान्यता को अस्वीकार करना उचित ही है।

भारत संघ एवं अन्य विरुद्ध शाह गोवर्धन एल. काबरा टीचर्स कॉलेज (2002) 8 एससीसी 228 के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर अभिनिर्धारित करते हुए, यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि एनसीटीई एक विशेषज्ञ निकाय है जिसे संसद द्वारा शिक्षक शिक्षा के संबंध में शिक्षा के मानकों को बनाए रखने का कर्तव्य सौंपा गया है और ऐसे विशेषज्ञ निकाय के निर्णय में न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. उत्तरवादी विश्वविद्यालय की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री आशीष श्रीवास्तव ने भी यह तर्क प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता संस्थान को विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 14 (4) के तहत अन्य शर्तों के अलावा इस शर्त पर संबद्धता प्रदान की गई थी कि याचिकाकर्ता संस्थान एनसीटीई की शर्तों और दिशानिर्देशों का पालन करते हुए छात्रों को प्रवेश देगा और राज्य शासन की शर्तों का भी पालन करेगा।

6. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना। मैंने अभिलेख और अनुलग्नक पी-1 एवं पी-2 के आक्षेपित आदेशों का भी अवलोकन किया।

7. अनुलग्नक पी-6 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उत्तरवादी क्र. 3 ने याचिकाकर्ता संस्थान द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच और निरिक्षण दल के प्रतिवेदन के आधार पर शर्तों को पूरा करने पर याचिकाकर्ता संस्थान को 100 छात्रों के लिए सशर्त मान्यता/अनुमति देने का निम्नलिखित निर्णय लिया है-

(i) निर्धारित योग्यता और अनुभव वाले अपेक्षित संकाय सदस्यों/कर्मचारियों की नियुक्ति संस्थान द्वारा यूजीसी/संबद्ध विश्वविद्यालय या राज्य शासन की नीति के

अनुसार गठित चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाती है। उक्त शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए लागू विनियमों में निहित सेवा की शर्तों और नियमों के अनुसार।

(ii) अपेक्षित सुविधा सदस्यों/कर्मचारियों की नियुक्ति के बाद, संस्था द्वारा उनकी तस्वीरों सहित विवरण अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर डाल दिए जाते हैं और डब्लू आर सी को इसके प्रमाण/समर्थन में निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ औपचारिक रूप से सूचित कर दिया जाता है:-

(क) संस्था/सोसायटी/ट्रस्ट द्वारा 100/- रुपये के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर नोटरी पब्लिक द्वारा सत्यापित एक शपथ पत्र (इसके साथ संलग्न प्रारूप अनुलग्नक-**I** के अनुसार) कि अपेक्षित योग्य संकाय सदस्यों/कर्मचारियों को यूजीसी/संबद्ध विश्वविद्यालय या राज्य शासन की नीति के अनुसार गठित चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर उक्त शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए लागू विनियमों, नियमों आदि द्वारा निर्धारित सेवा शर्तों पर नियुक्त किया गया है।

(ख) प्रत्येक व्यक्तिगत संकाय सदस्य/कर्मचारी से 10/- रुपये के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर नोटरी पब्लिक द्वारा विधिवत सत्यापित एक शपथ पत्र, जिसे इसके साथ संलग्न अनुलग्नक **II** के प्रारूप के अनुसार नियुक्त किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(ग) प्रत्येक संकाय सदस्य/कर्मचारी का व्यक्तिगत/व्यक्तिगत विवरण (इसके साथ संलग्न अनुलग्नक **III** के प्रारूप के अनुसार) संस्था/सोसायटी/ट्रस्ट द्वारा डब्लू आर सी के अभिलेख के लिए।

(घ) संस्था/सोसायटी/ट्रस्ट के प्राधिकृत प्राधिकारी के हस्ताक्षरों के अधीन शिक्षण/गैर-शिक्षण कर्मचारियों का एक समेकित प्रोफ़ाइल/विवरण संलग्न प्रारूप अनुलग्नक **IV** के अनुसार अलग-अलग है।

यह भी स्पष्ट है कि उपरोक्त शर्तों का अनुपालन आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर किया जाना था। अनुलग्नक पी-6 के आदेश में यह निर्दिष्ट किया गया था कि संस्थान पश्चिमी क्षेत्रीय समिति, भोपाल से बिना शर्त मान्यता पत्र और परीक्षा निकाय से संबद्धता प्राप्त करने के बाद ही प्रवेश देगा, जो विनियम, 2005 के विनियम 8(10) के अनुसार पूर्व शर्तें थीं।

8. विनियम 7 (11) एनसीटीई को शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पहले योग्य संकाय सदस्यों की नियुक्ति के अधीन अनुमति प्रदान करने का अधिकार देता है। विनियम 7 (12) संस्थान पर यह दायित्व डालता है कि अपेक्षित संकाय/कर्मचारियों की नियुक्ति के बाद वह जानकारी अपनी आधिकारिक वेबसाइट

पर डाले और संबंधित क्षेत्रीय समिति को औपचारिक रूप से सूचित भी करे। संबंधित क्षेत्रीय समिति इसके बाद एक औपचारिक बिना शर्त मान्यता आदेश जारी करेगी।

9. विनियम 8 मान्यता प्रदान करने की शर्तों से संबंधित है और विनियम 8 (10) में विशेष रूप से प्रावधान है कि कोई संस्थान संबंधित क्षेत्रीय समिति से बिना शर्त मान्यता पत्र और परीक्षा निकाय से संबद्धता प्राप्त करने के बाद ही प्रवेश देगा।

10. वर्तमान प्रकरण में, याचिकाकर्ता संस्थान को यूजीसी/संबद्धता प्राप्त विश्वविद्यालय या राज्य शासन की नीति के अनुसार गठित चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर संस्थान द्वारा निर्धारित योग्यता और अनुभव वाले अपेक्षित संकाय/कर्मचारियों की नियुक्ति की शर्त पर सशर्त मान्यता प्रदान की गई थी। शर्त क्र. 2 के अनुसार, अपेक्षित संकाय सदस्यों/कर्मचारियों की नियुक्ति करने के बाद, संस्थान को उनके विवरण फोटोग्राफ सहित अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर डालने होंगे और अनुलग्नक ए-6 के आदेश में दिए गए विस्तृत दस्तावेजों के साथ डब्ल्यूआरसी को औपचारिक रूप से सूचित करना होगा। उपरोक्त शर्तों को आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर पूरा किया जाना था। अनुलग्नक पी-6 के आदेश में स्पष्ट शर्त है कि संस्थान पश्चिमी क्षेत्रीय समिति, भोपाल से बिना शर्त मान्यता पत्र प्राप्त करने के बाद ही प्रवेश देगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. उत्तरवादी विश्वविद्यालय द्वारा दिए गए संबद्धता आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि संबद्धता एनसीटीई की शर्तों और दिशानिर्देशों के अधीन प्रदान की जाती है।

12. याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता निर्धारित अवधि के भीतर अनुलग्नक पी-6 के आदेश में उल्लिखित शर्तों को पूरा करने में विफल रहा क्योंकि प्राचार्य सहित संकाय की नियुक्ति की प्रक्रिया निर्धारित अवधि के भीतर पूरी नहीं की जा सकी और एनसीटीई को सूचित नहीं किया जा सका। इन परिस्थितियों में, एनसीटीई द्वारा याचिकाकर्ता संस्थान को मान्यता देने से इनकार करने और अपीलीय प्राधिकारी द्वारा बाद में इसकी पुष्टि करने के लिए दिए गए कारण विनियम, 2005 और अधिनियम के पूर्णतः अनुरूप हैं।

13. शाह गोवर्धन एल काबरा, टीचर्स कॉलेज (पूर्वोक्त) के प्रकरण में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा-11 में इस प्रकार अभिनिर्धारित किया;-

"एनसीटीई एक विशेषज्ञ निकाय है जिसका गठन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के तहत किया गया है और संसद ने ऐसे विशेषज्ञ निकाय

पर शिक्षा के मानकों को बनाए रखने का कर्तव्य सौंपा है, विशेष रूप से, शिक्षक शिक्षा के संबंध में। शिक्षा प्रत्येक लोकतंत्र की रीढ़ है और बी.एड पाठ्यक्रम में शिक्षण के मानक में कोई भी गिरावट अंततः अवमानक स्तर के भावी शिक्षकों को जन्म देगी। अतः, किसी विशेषज्ञ के निष्कर्ष को उचित महत्व दिए बिना, न्यायालय द्वारा हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष देने में त्रुटि की उत्तरवादी संस्थान द्वारा संचालित बी.एड (अवकाश पाठ्यक्रम) को मान्यता न देने का कोई उचित औचित्य नहीं था।

14. अतः, प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, मेरा यह मत है कि उत्तरवादी क्र. 3 ने याचिकाकर्ता को मान्यता देने से सही रूप से इनकार किया है क्योंकि याचिकाकर्ता अनुलग्नक पी-6 के तहत याचिकाकर्ता को दी गई सशर्त मान्यता के आदेश में उल्लिखित शर्तों को पूरा करने में विफल रहा है, जिसकी बाद में अपीलीय प्राधिकारी द्वारा याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील में पुष्टि की गई थी।

15. परिणामस्वरूप, याचिका में कोई सार नहीं है, यह निरस्त किए जाने योग्य है और तदनुसार, इसे निरस्त किया जाता है।

16. वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं किया जा रहा है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
धीरेन्द्र मिश्रा
न्यायधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By ……K.RADHIKA……...